पत्रांक–3ए–10–(ध्या०सू०)–02/2025–../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक : ....

विषय :– **राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए0सी0पी0) एवं रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) के लंबित मामलों के ससमय निष्पादन/निस्तारण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी सेवकों को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–4685, दिनांक–25.06.2003 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7566, दिनांक–14.07.2010 द्वारा क्रमशः सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए0सी0पी0) एवं रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. ए0सी0पी0 स्कीम नियमावली, 2003 के आलोक में राज्य के सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों को दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से 12 एवं 24 वर्षो की सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन उनके प्रोन्नति के पदसोपान में दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना दिनांक–12.07.2010 तक प्रभावी है।

3. दिनांक–01.01.2009 के प्रभावी रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अंतर्गत सीधी भर्त्ती वाले ग्रेड में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षो के अर्हक सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिये जाने का प्रावधान है।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्रदान करने की शक्ति संबंधित प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित की गई है। उक्त के आलोक में किसी संवर्ग/पद के पदसोपान के उच्चतर पद पर प्रोन्नति देने के लिए सक्षम प्राधिकार स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा पर वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

5. कतिपय राजपत्रित एवं सेवानिवृत राजपत्रित पदाधिकारियों को द्वितीय ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० प्रदान नहीं किये जाने का मामला वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है।

6. अतएव, वर्णित स्थिति के आलोक में अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालय के अधीन नियमित राज्य सरकार के कार्मिकों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए0सी0पी0) एवं रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) के लंबित मामलों की समीक्षा कर तत्काल नियमानुसार निष्पादन करने की कार्रवाई की जाय। उक्त का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों/निदेशालयों को अपने स्तर से भी निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(अरविन्द कुमार)
सरकार के उप सचिव।

→

ज्ञापांक–3ए–10–(ध्या०सू०)–02/2025–7471 पटना, दिनांक : 04-07-2025

प्रतिलिपिः–सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित।

अरविन्द 4-7-25

(अरविन्द कुमार)
सरकार के उप सचिव।